भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग / DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION SERVICES & ESTATE MANAGEMENT
विभागीय आवास में भागीदारी की अनुमति लेने हेतु आवेदन
APPLICATION FOR PERMISSION FOR SHARING DEPARTMENTAL RESIDENTIAL ACCOMMODATION
उचित माध्यम द्वारा / THROUGH PROPER CHANNEL

भाग-I आवंटिती का ब्यौरा और प्रस्तावित भागीदारी / PART I : DETAILS OF THE ALLOTTEE AND THE PROPOSED SHARER

	आवंटिती / Allottee	भागीदार / Sharer
1 नाम / Name		
2 पदनाम/कं.कू / Desig / Comp. Code No.		
3 यूनिट/प्रभाग / Unit / Division		
4 कार्यस्थल / Place of work		
5.1 वर्तमान आवास फ्लैट सं, बिल्डिंग, श्रेणी, स्थान इ. Accomodation now occupied Flat No. Building Category, Location etc.		*
5.2 विभागीय आवास में निरंतर रहने की तिथि Date from which in continuous occupation of departmental accommodation		लागू नहीं Not applicable
5.3 पूर्व फ्लैट सं., यदि है, तो Previous Flat No. If any		

भाग II : आवंटिती से संबंधित अन्य विवरण / Part II : Additional details relating to the allottee

6 राशन कार्ड सं. Ration Card No.

जहाँ पंजीकृत है उस उचित मूल्य की दुकान का पता Address of the Fair Price Shop where registered

पंजीकरण की तिथि Date of registration

(जेरॉक्स प्रति संलग्न करें)/(Enclose Xerox Copy)

7 क्या विभागीय बस का उपयोग करते Whether using departmental bus

नहीं/No ☐ हाँ, निम्न विवरणानुसार Yes, as per details, below ☐

बस पास सं. / Bus Pass No.	Valid upto तक वैध	गंतव्य / Destination

8 प्र. मा वेतन से वसूला गया लाइसेंस शुल्क / Licence fee p.m. recovered through salary

रु. / Rs.

9 प्रस्तावित भागीदार से प्र. मा. प्राप्त होने वाला मुआवजा / Compensation p.m. to be received from the proposed sharer

रु. / Rs.

10 कितनी अवधि के लिए भागीदारी हेतु अनुमति दी गई है Period for which sharing permission is sought

From से. To तक

11 भागीदारी हेतु अनुमति माँगने के कारण / Reasons for seeking permission to share the accommodation

12 क्या आवंटिती को भागीदारी हेतु अनुमति प्राप्त करने के अयोग्य ठहराया गया था Whether allottee was at any time debarred from seeking permission for sharing

नहीं/No ☐ हाँ, निम्न विवरणानुसार Yes, as per details, below ☐

* पहली बार भागीदारी हेतु आवेदन करते समय भागीदार को, सरकारी आवास में भागीदारी के रुप में आने से पहले का अपना पता प्रस्तुत करना चाहिए While applying for sharing initially, sharer should furnish his residential address prior to moving to the govt., accommodation as sharer

13 स्वयं का आवासीय मकान या अगले एक वर्ष के दौरान स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर मकान अर्जित होने की संभावना / Residential accommodation owned or likely to be acquired during the next one year in own name or in the name of any family members :

के नाम पर अर्जित/अर्जित होने वाला / Acquired/to be acquired in the name of	संबंध / Relationship

स्थान / Location	क्षेत्र/ Area	अर्जन की वास्तविक या संभावित तिथि/ Actual or expected date of acquiring	संपत्ति से वार्षिक आय / Annual income from the property

14 क्या गृ. नि. अ. के लिए आवेदन किया गया है/या निकाला गया है. / Whether HBA has been applied for or drawn :

नहीं/ No.		हाँ, आवेदित राशि रु. दि. Yes, Applied for Rs. on	हाँ, आहरित राशि रु. दि. Yes, drawn for Rs. on

15 क्या संभावित भागीदार का आबंटिती से संबंध है / Whether the proposed sharer is related to the allottee

नहीं/No		हाँ, रिश्ता बताएँ Yes, related as	

16 क्या आबंटिती के असाधारण छुट्टी/प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने की संभावना है / Whether the allottee is likely to proceed on EOL/deputation abroad

नहीं/No		हाँ, निम्न विवरणानुसार Yes, as per details, below	

____माह/months From_____ से To_____ तक कारण / purposes

भाग III - आबंटिती एवं प्रस्तावित भागीदार दोनों के लिए

Part III : For both allottee and the proposed sharer

17. आबंटिती / भागीदार के परिवार के सदस्यों का विवरण जो फ्लैट में रहते है या जो भागीदारी की अनुमत अवधि के दौरान रहेंगे (सीएचएसएस कार्ड की ज़ेरॉक्स प्रति संलग्न) / Particulars of family members of allotee/sharer who are or who will be staying in the flat during the permitted period of sharing (attach CHS card xerox copy)

	क्र. सं. S. No.	नाम Name	आयु Age	क्र. सं. 1 से संबंध Relationship with S. No. 1	सीएचएसएस संख्या CHSS No.	किस तारीख से रहते हैं Staying since (date)	किस तारीख से रहेंगे To stay from (date)
आबंटिती/Allotee	1.	स्वयं / Self					
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
भागीदार/Shares	1.	स्वयं / Self					
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						

18 आबंटिती हेतु / For the allottee

मेरे परिवार के निम्न लिखित सदस्य मुझे आबंटित फ्लैट में मेरे साथ नहीं रहते या नहीं रहेंगे। मैंने उनके सीएचएसएस कार्ड, सकाअ, सीएचएसएस, भापअकें को वापस लौटा दिए हैं / The following family members are not staying or will not be staying with me in the flat allotted to me. I have surrendered their CHSS cards to the APO, CHSS, BARC.

क्र. सं. S. No.	नाम Name	आयु Age	संबंध Relationship
1			
2			
3			
4			

आवंटिती एवं संभावित भागीदार (इसके आगे भागीदार कहा जाएगा) द्वारा घोषणाएँ/वचनवद्धताएँ / Declarations / undertakings by the Allottee and the proposed Sharer (here in-after called the Sharer)

क. आवंटिती द्वारा / A. By the allottee

1. मैं वचन देता हूँ कि निसेसंप्रनि से **पूर्व अनुमति लेकर** ही भागीदार को फ्लैट में रहने की अनुमति दूँगा ।
 I undertake to allow the sharer to move into the flat ONLY AFTER receiving prior permission from the DCS & EM.
2. मैं वचन देता हूँ कि जब कभी कोई मकान/फ्लैट, अपनी तैनाती की जगह पर या समीप ही, या तो मेरे स्वयं के नाम पर या पऊवि आबंटन नियम 1982, के नियम 2 (एच) के अनुसार परिभाषित मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अर्जित करता हूँ तो निसेसंप्रनि को सूचित करुँगा और विभागीय फ्लैट खाली कर दूँगा । मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भागीदार को भी विभागीय फ्लैट से निकाल दूँगा ।
 I undertake to inform the DCS & EM, as soon as any house premises/flat is acquired at or near the place of my posting either in my own name or in the name of any of my family members as defined in Rule 2 (h) of the DAE Allotment Rules , 1982 and also vacate the departmental flat. I also undertake to remove sharer from the departmental flat.
3. मैं वचन देता हूँ कि मैं भागीदार से आवेदन के भाग II की मद सं. II में यथाघोषित मासिक प्रतिपूर्ति, जिसे मैं प्रति माह प्राप्त करुंगा, के अलावा अग्रिम या जमा राशि या किसी अन्य रुप में कोई एक मुश्त राशि स्वीकार/प्राप्त नहीं करुँगा ।
 I undertake that I shall not accept/ receive any lumpsum amount by way of advance or deposit or loan or in any other form from the sharer, apart from the monthly compensation as declared at item 11 of part II of the application which I will collect monthly.
4. मैं घोषित करता हूँ कि किराया-रहित (मुक्त) विभागीय आवास मेरे कब्जे में नहीं है।
 I declare that I am not in occupation of rent-free departmental accommodation.
5. मैं वचन देता हूँ कि निसेसंप्रनि से पूर्व अनुमति के बगैर वर्तमान भागीदार को अनुमति अवधि से अधिक समय तक रहने या अवधि बढ़ाने या किसी अन्य भागीदार को रहने की अनुमति नहीं दूंगा ।
 I undertake not to extend the stay of the present sharer or allow him to stay beyond the premitted period or allow any other sharer without obtaining prior permission of the DCS & EM
6. मैं वचन दैता हूँ कि मैं, आवेदन के भाग III के मद 17 और 18 में वर्णित अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहूँगा ।
 I declare that I will be staying in the flat with my family as per details given at items 17 and 18 of Part III of the application.
7. **मुझे ज्ञात है कि जब तक भागीदारी के निरस्तीकरण से संबंधित सूचना निसेसंप्रनि में प्राप्त नहीं होती, तब तक अथवा एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तक, जो भी बाद में हो, भागीदारी के आधार पर ही वसूलियाँ होती रहेंगी ।**
 I understand that recoveries will be regulated on the basis of sharing until the date of receipt of intimation in DCS & EM regarding cancellation of sharing or for a minimum period of one year which ever is later.

दिनांक / Date :

आवंटिती / Allottee

ख. भागीदार द्वारा / B. By the sharer

1. मैं वचन देता हूँ कि मैं निसेसंप्रनि से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही फ्लैट में जाऊंगा ।
 I undertake that I shall not move into the flat except after receiving prior permission from the DCS & EM
2. मैं वचन देता हूँ कि आवेदन के भाग II के मद 9 में निर्दिष्ट मासिक प्रतिपूर्ति के अलावा मैं आबंटिती को अग्रिम या जमा राशि या ऋण या अन्य किसी रुप में कोई एकमुश्त राशि नहीं दूँगा ।
 I undertake that apart from the monthly compensation as mentioned at item 9 of part II of the application. I shall not pay any lumpsum amount by way of advance or deposit or loan or in any other form to the allottee.
3. मैं, निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर बिना किसी बाधा या रुकावट के शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करुँगा और छोड़ दूँगा :
 I shall quit and vacate the premises peacefully and without any let or hindrence immediately on the occurance of any one of the following : -

i. ☐ भागीदारी हेतु अनुमति अवधि की समाप्ति पर / On expiry of the permitted period of sharing **अथवा / OR**
ii. ☐ परमाणु ऊर्जा विभाग या उसकी किसी संघटक यूनिट का कर्मचारी न रहने पर / On ceasing to be the employee of the Department of Atomic Energy or any of its constitutent units. **अथवा / OR**
iii. ☐ आबंटिती को आबंटन समाप्त हो जाने की स्थिति में / On the allotment to the allottee ceasing to be in force. **अथवा / OR**
iv. ☐ निसेसंप्रनि द्वारा कारण बताकर अथवा बिना कोई कारण बताएँ, जगह खाली करने का निदेश दिए जाने पर / On being directed by the DCS & EM to vacate the premises, with or without any reason being assigned therefor **अथवा / OR**
v. ☐ आबंटिती यदि अपनी मंशा बता कर मुझे फ्लैट खाली करने की सलाह देता है / On the allottee advising me of the allottee's intention to vacate the flat.

4. मुझे ज्ञात है कि, यह तथ्य कि मुझे आवास की भागीदारी की अनुमति मिल गई है, मुझे किसी भी प्रकार से विभाग से वैकल्पिक आवास हेतु दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और मैं वचन देता हूँ कि मैं इस तरह के वैकल्पिक आवास की माँग नहीं करुँगा। / I understand that fact that I am allowed to share the accommodation does not in any way confer on me any right to claim alternative accommodation from the Department and I Undertake that I shall not seek such alternative accommodation.

दिनांक / Date :

भागीदार / Sharer

ग. आवंटिती एवं भागीदार द्वारा संयुक्त रुप से / C. Jointly by the Allottee and the sharer

1. हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ, हमारी जानकारी और विश्वास से सही है ।
We declare that the information furnished by us in this application is true and correct to the best of our knowledge and belief.

2 हम वचन देते हैं कि :
We undertake that :

2.1 हम विभागीय आवास की भागीदारी से संबंधित समय-समय पर लागू शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे ।
We shall faithfully abide by the terms & conditions applicable to sharing of departmental accommodation, as may be in force from time to time.

2.2 हम, हमारे या हमारे परिवारों के बीच के किसी विवाद, झगड़े को स्वंय ही निपटा लेंगे और इस संबंध में निसेसंप्रनि या पऊवि के किसी प्राधिकारी के पास नहीं जाएंगे ।
We shall ourselves resolve any disputes or quarrels between us or our families and we shall not approach the DCS & EM, or any other authority of DAE in this regard.

2.3 भागीदारी अवधि के दौरान हमारे वेतन और ग्रेड में जब भी कोई परिवर्तन होगा, हम इसकी सूचना निसेसंप्रनि को देते रहेंगे ।
We shall keep the DCS & EM informed of any changes in our respective pay and grades, as and when such changes take place during the currency of the permitted period of sharing.

2.4 हम, निसेसंप्रनि से पूर्व अनुमोदन के बिना, आवेदन के भाग II की मद संख्या 9 में उल्लेखित देय प्रतिपूर्ति राशि में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ।
We shall not change the amount of compensation payable, as mentioned at item No. 9 of Part II of the apllication, except with the prior approval of DCS & EM.

हस्ता./Sig. : _____ _____

आवंटिती / Allottee **भागीदार / Sharer**

स्थान/Place : _____

दिनांक/Date : _____

कार्यालयीन उपयोग हेतु / For Use in Office

मद संख्या 7 के विवरण की जाँच की एवं सही पाया
Statement at Item No. 7 verified and found to be correct

सकाअ, बस पास अनुभाग /
APO Bus Pass Section

मद संख्या 13 एवं 16 की जाँच की एवं सही पाया
Statement at Item No. 13 to 16 verified and found to be correct

सकाअ () /
APO (.)

यूनिट / Unit

सं. / No. दिनांक / Date :

अग्रेषित / Forwarded

प्रति : प्र. अ. III, निसेसंप्रनि
To : A. O. III DCS & EM

उस्थाअधि (प्रशा.)/प्र. अ. III /
DEO (Adm) / A.O. III

नोट/Note :

(i) **अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा / Incomplete application will not be considered.**

(ii) भागीदारी की अनुमति पऊवि एवं इसकी मुंबई स्थित अन्य यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही दी जा सकती है और इसके लिए आबंटिती का विभागीय आवास में कम से कम एक वर्ष तक लगातार रहना आवश्यक है. / Sharing is permissible only with another employee of the DAE and its Units stationed at Mumbai and the allottee should have been in continuous occupation of departmental accommodation for a period of not less than one year.

(iii) इस निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना आबंटिती प्रस्तावित भागीदार को फ्लैट में नहीं रख सकता / The allottee should not allow the proposed sharer to move in to the flat without the prior permission of this Directorate.

(iv) ऐसे आबंटिती जिनका अपना मकान तैनाती के स्थान पर या उसके पास है उन्हें विभागीय आवास की भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
Allotee owning residential accommodation at or near the place of posting are not allowed to share the departmental accommodation.

(v) भागीदार यदि एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के समाप्त होने के पहले ही आवास खाली कर देता है तो उक्त अवधि में से शेष अवधि के दौरान आबंटिती किसी अन्य भागीदार को रखने का हकदार नहीं होगा / In the event of the sharer vacating the premises before the expiry of the minimum period of one year, the allotee will not be eligible to keep any sharer for the unexpired portion of the said period.